

## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
<b>प्राक्कथन</b>	<b>i</b>
<b>मुख्य बातें</b>	<b>iii-vi</b>
<b>अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन</b>	<b>1-15</b>
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	2-5
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	5
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	6
v. प्रत्यक्ष करों की वृद्धि	7-8
vi. कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	9-10
vii. कर आधार का विस्तारण	10
viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	11
ix. प्रतिदाय मामलों का निपटान	12
x. बकाया मांग	12-13
xi. अपील मामलों का निपटान	13-14
xii. अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण	14-15
xiii. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	15
<b>अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव</b>	<b>17-30</b>
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी का प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	17-20
iii. निगम कर तथा आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में निरंतर तथा व्यापक अनियमितताएं	20-25
iv. लेखापरीक्षा उत्पाद तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	25-28
v. लेखापरीक्षा प्रभाव-लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली	28-29
vi. समय बाधित मामलें	29
vii. अभिलेखों को प्रस्तुत न कराना	29-30

<b>अध्याय III: निगम कर</b>	<b>31-67</b>
i. प्रस्तावना	31
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	31-42
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	42-54
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय	54-65
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	65-67
<b>अध्याय IV: आयकर और धन कर</b>	<b>69-86</b>
i. प्रस्तावना	69
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	69-73
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	74-80
iv. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	80-85
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	85-86
<b>अध्याय V: संवीक्षा निर्धारणों के दौरान अवास्तविक मांग</b>	<b>87-93</b>
i. प्रस्तावना	87
ii. अग्रिम कर भुगतान का कम क्रेडिट	87-89
iii. धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण करके प्रतिदाय को रोकना	89-92
iv. अन्य आपत्तियां	92-93
v. निष्कर्ष	93
<b>अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार</b>	<b>95-109</b>
i. प्रस्तावना	95
ii. आयकर विभाग की भूमिका	95
iii. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	96-108
iv. निष्कर्ष	109
<b>अध्याय VII: आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया</b>	<b>111-133</b>
i. प्रस्तावना	111
ii. कानून तथा प्रक्रियाएं	111
iii. लेखापरीक्षा उद्देश्य	111
iv. लेखापरीक्षा मानदण्ड	112
v. लेखापरीक्षा कार्यपद्धति	112
vi. लेखापरीक्षा कवरेज तथा नमूना आकार	112-113
vii. अभिलेखों को प्रस्तुत न करना	113

viii.	एओ द्वारा वृद्धियों का कायम रहना तथा आईटीडी की अपीलों की सफलता दर	114-117
ix.	अपील दाखिल करने में अनियमितताएं, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्देशों पर पालन न करना तथा अन्य अनियमितताएँ	117-124
x.	एओज़ द्वारा अपीलीय आदेशों का कार्यान्वयन	125-132
xi.	निष्कर्ष	132-133
<b>परिशिष्ट</b>		<b>135-164</b>
<b>संकेताक्षर</b>		<b>165-166</b>

